

कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)

क्रमांक: 285

दिनांक- 30-4-2024

कार्यालय आदेश

मैं विकास ऐचरा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपठित धारा 15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करती हूँ कि निम्नलिखित कॉलम संख्या-2 में अंकित अवकाश के दिन सीकर जिले की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु **माह मई 2024 व जून 2024** की अवधि में कॉलम संख्या 2 में अंकित दिनांक के लिये कॉलम संख्या 3 में अंकित पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	अवकाश की दिनांक	न्यायिक अधिकारी सर्व श्री/ श्रीमती /सुश्री	न्यायालय का नाम
1	2	3	4
1.	05.05.2024	शैली परवाल	न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमकाथाना
2.	11.05.2024	राकेश शर्मा	अति० न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमकाथाना
3.	12.05.2024	डेनिश विश्नोई	न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर
4.	19.05.2024	अंशुल शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ
5	25.05.2024	यास्मीन खान	न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर शेखावाटी
6	26.05.2024	रमेश कुमार कराडिया	न्यायिक मजिस्ट्रेट धोद
7	02.06.2024	शिखा शर्मा	अति० न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1 सीकर
8	08.06.2024	आस्था अग्रवाल	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कुडली
9	09.06.2024	हिमांशु कुमावत	न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर
10	16.06.2024	शैली परवाल	न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमकाथाना
11	17.06.2024	रमेश कुमार कराडिया	न्यायिक मजिस्ट्रेट धोद
12	22.06.2024	डेनिश विश्नोई	न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर
13	23.06.2024	यास्मीन खान	न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर शेखावाटी
14	30.06.2024	राकेश शर्मा	अति० न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमकाथाना

नोट:-

1. **माह मई 2024 व जून 2024** में आकस्मिक रूप से घोषित अवकाश के दिन/उक्त अधिकृत अधिकारीगण में से किसी अधिकारी के रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित नहीं कर पाने की स्थिति में आवश्यक फौजदारी कार्यों हेतु अधिकृत अधिकारीगण:-

1.	01.05.2024 से 15.05.2024	शिखा शर्मा	अति० न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1 सीकर
2.	16.05.2024 से 31.05.2024	दिलीप मीणा	अति० न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 सीकर
3	01.06.2024 से 15.06.2024	हिमांशु कुमावत	न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर
4	16.06.2024 से 30.06.2024	आस्था अग्रवाल	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कुडली

जाकाग
30-04-2024
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)

नोट-

1. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से सीकर पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के सीकर प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पी.आई./2008 दिनांक 29.07.2008 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी उक्त अधिकारीगण करेंगे।
2. सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु दिनांक 01.05.2024 से 30-06-2024 तक के अवकाशों में विशेष रूप से 09.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे
3. रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पोक्सो कोर्ट से संबंधित पेश की जाने वाली एफ.आई.आर. को संबंधित पोक्सो कोर्ट (पोक्सो कोर्ट क्रम -1 या पोक्सो कोर्ट क्रम -2) को ही भेजी जाना सुनिश्चित करें।

30-04-24
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीकर (राज.)

क्रमांक- 286-293

दिनांक- 30-4-2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर
- 2- श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
- 3- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, सीकर
- 4- अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 01 व 02, सीकर, रींगस, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दांतारामगढ़, क्रम संख्या-01 व 02 नीमकाथाना, क्रम संख्या-01 व 02 श्रीमाधोपुर
- 5- न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर/ क्रम 1, 2 व 3, सीकर/ विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एन.आई. एक्ट प्रकरण, सीकर/ न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमकाथाना, लक्ष्मणगढ़, खण्डेला, फतेहपुर, श्रीमाधोपुर, धोद
- 6- अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर
- 7- कार्यालय, सहायक निदेशक अभियोजन, सीकर
- 8- अध्यक्ष, बार एसोसिएशन सीकर/नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर/फतेहपुर/लक्ष्मणगढ़/दांतारामगढ़/रींगस/धोद
- 9- सिस्टम ऑफिसर, ई-कोर्ट प्रोजेक्ट, सर्वर बेसमेंट, न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
- 10- इंचार्ज, पुलिस कंट्रोल रूम, सीकर
- 11- आदेश/संबंधित पंजिका

30-04-24
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीकर (राज.)